आर टी आई स्पीड पोस्ट

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/71/2013-14

20 मार्च 2013

श्री चन्द्र प्रकाश
निजी सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव कार्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री दीपक वालिया म. न. ए-84, डिफेंस कालोनी, मवाना रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश का दिनांक 15 मार्च 2013 का जो दिनांक 18 मार्च 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 17एफ 193903 संलग्न कर अपराधियों को सजा देने का अनुरोध किया है, चूंकि यह विषय उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया इनके आवेदन पर कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तथा अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो कृपया इसे उस जनसूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके कार्यक्षेत्र से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्री दीपक वालिया म. न. ए-84, डिफेंस कालोनी, मवाना रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश - कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

आर टी आई स्पीड पोस्ट

फाइल संख्या बीपीएस-55/01-आरटीआई/71/2013-14

20 मार्च 2013

श्री चन्द्र प्रकाश
निजी सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव कार्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री दीपक वालिया म. न. ए-84, डिफेंस कालोनी, मवाना रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश का दिनांक 15 मार्च 2013 का पत्र दिनांक [illegible] मार्च 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 17 एफ 193903 संलग्न कर अपराधियों को सजा देने का अनुरोध किया है, चूंकि यह विषय उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया इनके आवेदन पर कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तथा अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके वह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(साहिसाब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

हो जायें, इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित कार्यालय का आदेश
पत्र संलग्न कर रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट पता लग जायेगा कि न्याय

"WE WILL FIGHT TOGETHER WE WILL SURE WIN"

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन

INTERNATIONAL HUMAN RIGHT INVESTIGATION ORGANISATION

Reg No.056

Reg. Office. 367/368, Kaseru Baxer, Mawana Road Meerut,(INDIA) Mob:935829787
9759226927,7417946387,9358419427

Administration office :A-84,Defence Colony, Mawana Road Meerut,(INDIA)

तत्काल**आज ही**अभी

सर्वोच्च प्राथमिकता ** अतिआवश्यक

Ref. No. Date.15

राष्ट्रहित एवं मानवाधिकार हित में अविलम्ब संज्ञान हेतु

मानवाधिकार की अक्षुण्ण रक्षा हेतु जनहित में व्यक्तिगत संज्ञान में

Do Not Delay PLEASE

RIGHT to INFORMATION
MY RIGHT, MY MIGHT.
THE RIGHT TO KNOW
KEEPING GOV'T ACCOUNTABLE

स्पीड पोस्ट ** संलग्न पावती
Most Immediate Time Bond
समयबद्ध ** नियमानुसार

Vice President's Secretariat, Dy. No. 89, Date 18/3/13, New Delhi

सेवा में,

माननीय हामिद अंसारी जी,
उपराष्ट्रपति भारत सरकार,
नई दिल्ली।

सर्वप्रथम निवेदनः– बेहद जरूरी निवेदन– आप पद से हट कर अनगिनत पीड़ितों की जगह खुद को रख कर इंसाफ की रक्षा सुनिश्चित करायेगें। पीड़ितों को तत्काल कड़ी सुरक्षा घेरे में लें लेगें। क्योंकि मानवता से बहुत गहरे जुड़े मानवाधिकारों के नियमों को बेदर्दी से जूतों तले रोंद दिया गया है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप ऐसी ठोस कार्यवाही करेंगे जिसके चलते आपको बिना दातों व बिना पंजों वाला शेर ना कहना पड़े।

विषयः– राष्ट्र के भविष्य मासूम फरमान के हत्यारों को जो अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के नामजद लोगों को अविलम्ब गिरफ्तार कर जेलों में ठूसने व इतने कम समय में इतनी अधिक सम्पत्ति कैसे अर्जित करी जो अरबों में है जॉच के सम्बन्ध में।

संदर्भः– कृत इंसाफपूर्ण कार्यवाही से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 (**Right to Information 1 बजे।**) की धारा 6 की उपधारा 3, 6(3) के तय समय सीमा के अन्तर्गत अविलम्ब अवगत कराने के सम्बंध में एवं धारा 5 की उपधारा 5 (5) के तहत मैं ही पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन जन सूचना अधिकारी के रूप में भी करूंगा। सूचना पाने के लिए शुल्क के रूप में 10 रूपये का पोस्टल आर्डर संलग्न है जिसकी सं0 ....17F 193903...... है। उक्त धाराओं से छल–कपट न हो जाये, इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित कार्यालय का आदेश पत्र संलग्न कर रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट पता लग जायेगा कि न्याय के नासूरों ने इंसानियत को कत्ल–लो–गारत कर इंसाफ की चूल्हें हिलाकर रख दी है।

आदरणीय मान्यवर जी,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके संज्ञान में बेहद दुख के साथ लाया जा रहा है कि पीड़ित शादाब का शपथ पत्र अति महत्वपूर्ण पत्रों व समाचार पत्रों की प्रतिलिपि के साथ प्राप्त हुआ है। जिसे बेहद गहनता, गम्भीरता एवं संजीदगी से लेते हुए अवलोकनार्थ पाया कि अति प्रचण्ड एवं भीषणतम मानवाधिकार उल्लंघन मानवता को ताक पर रख कर अंजाम दिया गया है (प्रपत्र ** संलग्न)।

मान्यवर इंसाफ की रक्षा हेतु बिना देरी के आपको प्रेषित कर रहा हूँ इस आशा के साथ कि आप भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए सम्पूर्ण प्रपत्रों को बेइंतहा गहराई से व संजीदगी से अवलोकनार्थ उपरान्त ऐसी अचूक कार्यवाही करेंगें कि कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन करने की जुररत ना कर सकें। अब मान्यवर यह भी हकीकत है कि हम अन्याय, अत्याचार व प्रताड़ना की समस्या है का हम समाधान है। और अगर हम समाधान नहीं है तो हम धिक्कार कर फेंक देने वाली समस्या है। अब यह भी निश्चित है कि आपकी द्वारा ही की गई न्यायपूर्ण कार्यवाही से इंसाफ की रक्षा सुनिश्चित होगी। कृत इंसाफपूर्ण कार्यवाही से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 (Right to Information 1 बजे।) की धारा 6 की उपधारा 3, 6(3) के तय समय सीमा के अन्तर्गत अविलम्ब अवगत कराने के सम्बंध में एवं धारा 5 की उपधारा 5 (5) के तहत मैं ही पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन जन सूचना अधिकारी के रूप में भी करूंगा। सूचना पाने के लिए शुल्क के रूप में 10 रूपये का पोस्टल आर्डर संलग्न है जिसकी सं0 .... है। उक्त धाराओं से छल–कपट न हो जाये, इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित कार्यालय का आदेश पत्र संलग्न कर रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट पता लग जायेगा कि न्याय के नासूरों ने इंसानियत को कत्ल–लो–गारत कर इंसाफ की चूल्हें हिलाकर रखं दी है।

दरिंदों ने दरिंदगी से दरख्त कॉटकर साये चुरा लिये,
चोरों के चाल–चलन से चकनाचूर हो रहा आम आदमी।
जिल्लत ने खुदकुशी के रास्ते दिखा दिये।
अब ओर क्या कर सकता है आम आदमी।।

कितना मारोगे जालिमों एक दिन तो जी उठेगो आम आदमी............

फ़रमान के नाना शाहबुद्दीन–

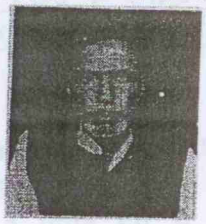

जालिम को इसके जुल्म की कैसे मिले सजा।
मुंसिफ के होंठ सीं दिये सोने के तार से।।

फरमान के पिता शादाब– कसूर (गरीबी)

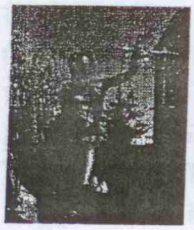

ईमान वालो मुझे न्याय के नासूरों से
न्याय दिलाऐ ''इंसाफ''
इंसाफ ना मिला तो मानवता चारों खानें चित्त

दीपक [illegible]

सत्यमेव जयते

धन्यवाद!

भवदीय,

दीपक वालिया
(अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष)
एवं समस्त कार्यकर्तागण
कसेरू बक्सर, मवाना रोड, मेरठ।
फोन नं0–0121–2620778, 09045476069

फरमान

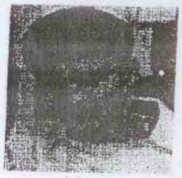

न्याय के लिए

बोलोगें क्योकि फरहान की रूह को आज भी इंतजार है न्याय का।

सिस्टम के सितम का शिकार

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त मीडिया।
2. श्रीमान सी0बी0आई0निदेशक, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. माननीय प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. माननीय हामिद अंसारी जी, उपराष्ट्रपति, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. माननीय डा0 मनमोहन सिंह, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. माननीय सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. माननीय केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. माननीय मीरा कुमार, अध्यक्ष लोकसभा, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. माननीय चैयरमेन साहब,उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
11. माननीय बनवारी लाल जोशी जी, राज्यपाल उ0प्र0सरकार, लखनऊ।
12. माननीय अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री, उ0प्र0सरकार लखनऊ।
13. माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
14. श्रीमान डी0जी0पी0 उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
15. माननीय चेयरमैन उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, लखनऊ।
16. माननीय बान–की–मूंद द्वारा 55, लोधी स्टेट, नई दिल्ली।

9997534731

9897127651

9259304726